[**भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशनार्थ**]

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
राजस्व विभाग
केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क बोर्ड

अधिसूचना सं. 32/2017 – केन्द्रीय कर

नई दिल्ली, तारीख 15 सितम्बर, 2017.

सा.का.नि....................(अ).- केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 23 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद की सिफारिशों पर, हस्तशिल्प माल के कराधेय प्रदाय करने वाले नैमित्तिक कराधेय व्यक्तियों को पूर्वोक्त अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकरण अभिप्राप्त करने से छूट प्राप्त व्यक्तियों के प्रवर्ग के रूप में विनिर्दिष्ट करती है :

परंतु ऐसे मालों का कुल मूल्य, जो अखिल भारतीय आधार पर संगणित किया जाना है, किसी वित्तीय वर्ष में बीस लाख रूपए की रकम से अधिक नहीं है :

परंतु यह और कि ऐसे माल का कुल मूल्य, जो अखिल भारतीय आधार पर संगणित किया जाना है, जम्मू-कश्मीर राज्य से भिन्न विशेष प्रवर्ग राज्यों के मामले में दस लाख रुपए की रकम से अधिक नहीं है।
2. पूर्ववर्ती पैरा में उल्लिखित नैमित्तिक कराधेय व्यक्ति स्थायी लेखा संख्यांक अभिप्राप्त करेंगे और केन्द्रीय माल तथा सेवा कर नियम, 2017 के नियम 138 के उपबंधों के अनुसार ई-वे बिल सृजित करेंगे ।

3. उपरोक्त छूट ऐसे व्यक्तियों को उपलब्ध होगी जो हस्तशिल्प माल के अंतरराज्यीय कराधेय प्रदाय कर रहे हैं और भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उप-खंड (i) में सा.का.नि. सं. 1156(अ), तारीख 14 सितम्बर, 2017 द्वारा प्रकाशित अधिसूचना संख्या 8/2017-एकीकृत **कर**, तारीख 14 सितम्बर, 2017 का फायदा ले रहे हैं ।

स्पष्टीकरण : इस अधिसूचना के प्रयोजनों के लिए, "हस्तशिल्प माल" पद से नीचे सारणी के स्तम्भ (2) में उल्लिखित उत्पाद और उक्त सारणी के स्तम्भ (3) में तत्स्थानी प्रविष्टि में उल्लिखित सुमेलित नाम पद्धति प्रणाली (एचएसएन) संहिता, जब इनका मशीनीकृत उत्पादन प्रक्रियाओं का प्रयोग न करते हुए, सम्पूर्ण देश में शिल्पकारों द्वारा विनिर्माण किया जाता है, अभिप्रेत है ।

सारणी

क्र. सं.	**उत्पाद**	**एचएसएन कोड**
(1)	**(2)**	**(3)**
1	चमड़े की वस्तुएं (जिनके अंतर्गत थैला, पर्स, जीनसाजी, साज, वस्त्र भी हैं)	4201, 4202, 4203
2	उत्कीर्णित काष्ठ उत्पाद (जिनके अंतर्गसन्दूक, जड़ाऊ कार्य, डिब्बे, पीपा भी हैं)	4415, 4416
3	उत्कीर्णित काष्ठ उत्पाद (जिनके अंतर्गत टेबल और रसोई बर्तन भी हैं)	4419
4	उत्कीर्णित काष्ठ उत्पाद	4420
5	काष्ठ के घुमावदार और रलाक्षबर्तन	4421

6	बांस उत्पाद (सजावटी और उपयोगी वस्तुएं)	46
7	तृण, पत्तियां और सरकंडा तथा फाइबर उत्पाद, चटाई, थैलियां, पेटियां	4601, 4602
8	कागज मेश की वस्तुएं	4823
9	टैक्सटाइल (हथकरघा उत्पाद)	जिनके अंतर्गत 50, 58, 62, 63 भी हैं
10	टैक्सटाइल हस्तमुद्रण	50, 52, 54
11	जरी धागा	5605
12	कालीन, रग और दरी	57
13	टैक्सटाइल, हस्त कशीदाकारी	58
14	थिएटर पोशाक	61, 62, 63
15	कयर उत्पाद (जिनके अंतर्गत चटाइयां, गद्दे भी हैं)	5705, 9404
16	चमड़े का जूता	6403, 6405
17	उत्कीर्णित प्रस्तर उत्पाद (जिनके अंतर्गत प्रतिमा, लघु प्रतिमा, जन्तुओं की आकृति, लेखन सेट, एस्ट्रे, मोमबत्ती दान भी हैं)	6802
18	प्रस्तर जड़ाऊ कार्य	68
19	मिट्टी के बर्तन तथा मृत्तिका उत्पाद, जिसके अन्तर्गत टैराकोटा भी है	6901, 6909, 6911, 6912, 6913, 6914
20	धातु टेबल तथा रसोई बर्तन (ताम्र, पीतल के बर्तन)	7418
21	अध्याय 73 और 74 की धातुओं के सज्जीकरण के लिए प्रयुक्त किस्म की धातु की मूर्तियां, प्रतिमा/मूर्तिदान, कलश और क्रॉस	8306
22	धातु बिदरीवेयर	8306
23	संगीत वाद्य यंत्र	92
24	सींग और अस्थि उत्पाद	96
25	शंख सीपी शिल्प वस्तुएं	96
26	फर्नीचर, बांस, केन/बेंत के फर्नीचर	
27	गुड़िया और खिलौने	9503
28	लोक चित्रकारी मधुबनी, पतचित्रा, राजस्थानी लघु चित्र आदि	97

[फा. सं. 349/58/2017-जीएसटी()]

(डॉ. श्रीपार्वती एस.एल.)
अवर सचिव, भारत सरकार